

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसील अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.

दिना संख्या - 49/19

श्री सुनील कुमार शो. श्री लाइलात जाट निवासी- भावलारा तहसील (वगैरा)

-प्रार्थी

बनान

श्री मगना शो. श्री हजारी जाट निवासी- भावलारा तहसील [वगैरा]
(मुख्यालय माण्डल जिला)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 28-5-19

आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भावलारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 569, 576, 632, 636, 1001, 1014, 1015, 1085, 1086, 1087, 1090 कितना 11 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के नव्य आराजी नुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जाये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-3-19 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की जाने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भावलारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 569, 576, 632, 636, 1001, 1014, 1015, 1085, 1086 कुल कितना 11 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागीर को 550/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीमण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षाकारान की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फराल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
भीलवाड़ा